शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 139

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में फलाईओर के नीचे की सडक की देखभाल की जिम्मेवारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था । इस संन्दर्भ मे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ. 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
ख	क्या यह भी सत्य है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया है;	
ग	यदि हाँ, तो किये गये कार्यो की विस्तृत जानकारी दें;	
घ	इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए सडकों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के कार्य का स्थान सहित पूर्ण विवरण दें; और	
ड़	सन 2015 से आज तक पालम विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विकास या रख–रखाव का कार्य किया गया हो तो सम्पूर्ण ब्यौरा दे?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

11/c

75

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

ब्लॉक—बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली—110023

सं. एफ.5(3) / मिस. / 2015 / पी एंड सी / पीपीसी / 769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been seen by Hon Min O.D.

May place in the concern file.

10/8/18

सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली—110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07 / 06 / 2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09 / 07 / 2018 के आपके पत्र सं. एफ. 3 (यू.एस.क्यू.) / बजट सेशन–सैकंड जून–2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू. / बजट सेशन II जून 2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी–6983–43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू.–70) दिनांक 29 / 05 / 2018 तथा अनुपूरक पत्र डी 7066 से 7068 दिनांक 13 / 06 / 2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ ... संबंधित है क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों ... प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह उल्लेख है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में काम करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव